

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : हरिशचन्द्र

बनाम

प्रतिवादी : रामकुंवर

किस्म मुकदमा :वाद

प्रकरण संख्या : 108 / 19

दिनांक: 02.04.2024

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण प्रतिवादीगण की तामील हेतु काफी समय से लम्बित है। न्यायालय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई,किन्तु वादीगण एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अन्त तक उपस्थित हुए। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है एवं उक्त वाद में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहते है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के अर्न्तगत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.  
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.  
गिर्वा-उदयपुर

